ालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

2/2021

तारीखरजू:– 5.1.21

उनवान:– प्रभूदयाल बनाम रामेश्वर वगै0

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

	फर्द अहकाम
5.1.21	प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री मनोज शर्मा एडवोकेट हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष मे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि मे सायलान को प्रार्थी के पक्ष मे अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए सायलान व गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है। कि दिनांक 02.02.2021 तक विवादग्रस्त आराजी ख0न0 4646/0.31, 4647/0.37, 4648/0.31 कुल किता 3 कुल रकवा 0.99 है0 काम टोडाभीम 11 बिस्वा तहसील टोडाभीम जिला करौली मे आगामी पेशी 02.02.2021 तक रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे व निर्माण व खुर्द बुर्द नही करे। प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रकिया के साथ–साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नही होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियो के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अंतरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियो का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियो मे यह अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है मे परिवर्तन की दशा मे संशोधित/वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 02.02.2021 को पेश हो। 39-52 5.1.21 (दुर्गा प्रसाद मीना) उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली
2.2.21	प्रार्थी वकील उप0/ अप्रार्थी नं. 1 से 9 की ओर से श्री राधारमण शर्मा Adv. ने, अप्रार्थी नं. 10 से 13 की ओर से श्री सुनील जिंदल Adv ने वकालतनामा पेश किये अप्रार्थी नं. 14 के बावजूद इत्तला उप0 नहीं होने से एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है जवाब पेश करने हेतु 12.2.21 को पेश हो

न्यायालय उप ज़िला कलक्टर टोडाभीम जिला

दिनांक	फर्द अहकाम
12.2.21	वक्तुलाम उप०/ अप्रार्थी वकील ने प्रा०पत्र 0.26 R.9 CPC पेश किया। शामिल कर नकल प्रार्थी वकील को दिलाई। प्रार्थना पत्र का जवाब पेश करने हि० 26.3.21 को पेश हो।
26/3/21	वादी वकील/वकील उभय पक्ष उपस्थित. पीठासीन अधिकारी ....दूसरी पधारे थे... पत्रावली गतानुसार दिनांक ...7/5/21... को पेश हो।
1.7.21 Not press [illegible] Adv.	वादी एवं वादी वकील ने उपस्थित होकर पत्रावली आगामी पेशी से तलब कराकर मूल दावा पक्षकारान में राजीनामा हो जाने व आगे चलाना नहीं चाहते हुए Not-Press में खारिज करा लिया है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को भी Not-Press कर खारिज करने का कथन किया। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा Not-Press में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दावा पत्रा० के साथ संलग्न रहे। (दुर्गा प्रसाद मीना) उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम जिला-करौली